न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 294 / 2007 / रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1. राधादेवी बेवा रामपाल जाति जांगिड़ निवासी बानूड़ा तहसील दांतारामगढ़
2. भगवानसहाय पुत्र गोमला जाति जांगिड़ निवासी बानूड़ा तहसील दांतारामगढ़
3. बरजी बेवा गोमला जाति जांगिड़ निवासी बानूड़ा तहसील दांतारामगढ़
4. रामचन्द्र पुत्र गोमला जाति जांगिड़ निवासी बानूड़ा तहसील दांतारामगढ़

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांकः—15.10.2019**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बानूडा के पुराने ख0नं0 227 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी माफी मंदिर श्री जानकी बल्लभजी पुत्र श्री बालाकिशन दास चेला केसरदास स्वामी के नाम से दर्ज थी, जो कब्जे के आधार पर गोमला पुत्र लादू जाति खाती के नाम दर्ज कर दी गई। नामान्तरकरण सं0 615 के द्वारा खाता बरजी बेवा गोमला, भगवानसहाय, रामचन्द्र पिता गोमला के नाम दर्ज किया गया। बंदोबस्त के दोरान पुराने खं0 227 के नये ख0 462, 463, 464 परिवर्तित किये गये। नामान्तकरण सं0 46 के द्वारा खाता ख0न0 462 राधा देवी वेबा रामपाल जाति जांगिड़ के नाम दर्ज हुआ। नामान्तकरण सं0 65 के द्वारा खं0न0 463, 464 का खाता राधा वेबा रामपाल 1/9 भगवान सहाय पुत्र गोमला 2/9 बरजी वेबा गोमला, रामचन्द्र पुत्र गोमला हिस्सा 2/3 के नाम से दर्ज किया गया। उपरोक्तनुसार नामान्तरकरण सं0 615, 46, 65 अवेध दर्ज किये गये है जो निरस्तनीय है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री ताराचन्द यादव उपस्थित आये एवं जवाब आवेदन पेश किया। रेफरेन्स आवेदन व जवाब प्रार्थना का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009—2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी श्री जानकी बल्लभजी पुजारी बालकिशन दास चेला केसरदास कौम स्वामी सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 में काश्तकार के कॉलम में गोमला पुत्र लादु कौम खाती के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित है। नामान्तकरण संख्या 615 के द्वारा खातेदार गोमला पुत्र लादू फौत हो जाने पर उनके वारिसान बरजी बेवा गोमला व भगवान सहाय, रामचन्द्र पुत्रगण गोमला के नाम नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। भू—प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 227 जिसके नये खसरा नम्बर 462, 463, 464 अंकित कर दिये गये। नामान्तकरण

अति॰ जिला कलक्टर, सीकर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 के मुताबिक खसरा नम्बर 462 रकबा 0.66 है0 की खातेदारी राधादेवी बेवा रामपाल जाति जांगिड़ व खसरा नम्बर 463, 464 की खातेदारी राधा बेवा रामपाल 1/9 भगवान सहाय पुत्र गोमला 2/9 बरजी बेवा गोमला, रामचन्द्र पुत्र गोमला हिस्सा 2/3 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी श्री जानकी बल्लभजी पुजारी बालकिशन दास चेला केसरदास कौम स्वामी सा.देह खुदकाश्त के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2020–2023 के मुताबिक बिना किसी आदेश के उपरोक्त आराजियात मन्दिर के स्थान पर गोमला पुत्र लादु कौम खाती के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित कर दी गई। नामान्तकरण संख्या 615 के द्वारा खातेदार गोमला पुत्र लादू फौत हो जाने पर उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 46 के द्वारा बरजी बेवा गोमला व भगवान सहाय, रामचन्द्र पुत्रगण गोमला के स्थान पर राधादेवी बेवा रामपाल जाति जांगिड़ सा.देह के नाम तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 65 मुताबिक विक्रय पत्र के तस्दीक किया गया है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी श्री जानकी बल्लभजी के नाम से खुदकाश्त दर्ज रिकार्ड होने के उपरांत जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 में उक्त मन्दिर की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम बानूड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 227 जिसके नये खसरा नम्बर 462, 463, 464 के सम्बंध में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 615, 46, 65 के द्वारा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी श्री जानकी बल्लभ जी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/19

(जयप्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official